रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250108 CG-DL-E-17112023-250108

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2023/कार्तिक 25, 1945

No. 660]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2023/KARTIKA 25, 1945

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2023

सा.का.िन. 843(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) समूह 'ग' तकनीकी पद भर्ती नियम, 1999, जहां तक, उनका संबंध व्यावसायिक अनुदेशक, किनष्ठ तकनीकी सहायक, स्टोर कीपर के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कर्मकार एकक में व्यावसायिक अनुदेशक, किनष्ठ तकनीकी सहायक, स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), व्यावसायिक अनुदेशक, किनष्ठ तकनीकी सहायक, स्टोर कीपर, समूह 'ख' पद अराजपत्रित, भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

7184 GI/2023 (1)

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन
			स्तर	पद है या
				अचयन
				पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यावसायिक अनुदेशक, कनिष्ठ	183* (2019)	साधारण केन्द्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	चयन
तकनीकी सहायक, स्टोर कीपर	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	सेवा समूह 'ख'	स्तर – 6	
(ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन	जा सकता है	अराजपत्रित,	(35,400-	
प्रौद्योगिकी, फ्रन्ट कार्यालय सहायक, इलेक्ट्रोनिक्स	(क) व्यावसायिक अनुदेशक	अननुसचिवीय	1,12,400 रु.)	
मैकेनिक, डेस्कटाप प्रकाशन	(व्यवसाय-वार विवरण);			
ऑपरेटर, वास्तुविदीय	1. ड्रेस मेकिंग – 15			
नक्शानवीस, फल और सब्जी प्रसंस्करण,	2. फैशन डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी –			
खानपान और आतिथ्य,	12			
आन्तरिक डिजाइन तथा साज-	3. फ्रन्ट कार्यालय सहायक -03			
सज्जा, यात्रा और पर्यटन सहायक, अस्पताल गृह	4. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक -15			
व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन,	5. डेस्कटाप प्रकाशन ऑपरेटर – 11			
पुष्पोत्पादन तथा भू-परिदृश्य, उपकरण मैकेनिक, कम्प्यूटर	6. वास्तुविदीय नक्शानवीस – 19			
अपरेटर तथा प्रोग्रामिंग	7. फल और सब्जी प्रसंस्करण – 03			
सहायक, खाद्य और पेय सेवा	8. खानपान और आतिथ्य – 01			
सहायक, कॉस्मेटोलॉजी, आशुलिपि तथा सचिवीय	9. आंतरिक डिजायन तथा साज- सज्जा – 06			
सहायक (हिंदी) (पुराना नाम – आशुलिपि (हिंदी) सचिवालीय	10. यात्रा तथा पर्यटन सहायक -02			

पद्धति (अंग्रेजी) बांस कार्य,	11. अस्पताल गृह व्यवस्था -01
कम्प्यूटर सहाय्यित कढ़ाई तथा डिजाइनिंग, कनिष्ठ प्रौद्योगिकी	12. इलेक्ट्रीशियन – 01
सहायक, स्टोर कीपर।	13. पुष्पोत्पादन तथा भू-परिदृश्य – 01
	14. उपकरण मैकेनिक - 01
	15. कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग
	सहायक – 22
	16. खाद्य एवं पेय सेवा सहायक - 04
	17. कॉस्मेटोलोजी – 20
	18. आशुलिपि तथा सचिवीय सहायक
	(हिंदी) (पुराना नाम – आशुलिपि
	(हिंदी)-04)
	19. सचिवालीय पद्धति (अंग्रेजी)-17
	20. बांस कार्य-01
	21. कम्प्यूटर सहाय्यित कढ़ाई तथा
	डिजाइनिंग -03
	(ख) कनिष्ठ प्रौद्योगिकी सहायक – 10
	(ग) स्टोर कीपर -11

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं।	
(6)	(7)	
30 वर्ष से अनधिक	1. ड्रेस मेकिंगः	
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ड्रेस मेकिंग या फैशन डिजाइनिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो; 	
नोटः आयु सीमा अवधारित करने के लिए		
निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	 ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव; या iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र; (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और 	
	्र (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।	
	2. फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकीः	
	i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ड्रेस मेकिंग या	

फैशन डिजाइनिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अर्हता उपरान्त अनुभव हो;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री:
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र: और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

3. फ्रंट कार्यालय सहायकः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल प्रबन्ध या खानपान प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में स्नातक की डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त 3 वर्ष का अनुभव।

5.डेस्कटाप प्रकाशन ऑपरेटरः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रिंटिग प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कोई भी स्नातक डिग्री:
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

6.वास्तुविदीय नक्शानवीसः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वास्तुविदीय इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव;

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण-पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

7. फल एवं सब्जी प्रसंस्करणः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अईता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कोई भी स्नातक डिग्री:
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव; या

8. खानपान और आतिथ्यः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल प्रबन्धन या खानपान प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;

7

- (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
- (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

9. आन्तरिक डिजाइन तथा साज-सज्जाः

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आन्तरिक डिजाइन तथा साज-सज्जा इंजीनियरी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

10. यात्रा और पर्यटन सहायकः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यटन में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;

- (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र;और
- (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

11. अस्पताल गृह व्यवस्थाः

ं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनभव हो:

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

12. इलेक्ट्रीशियनः

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रीकल या इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी में स्नातक डिग्री और शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और

(घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

13. पुष्पोत्पादन तथा भूनिर्माणः

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

14. उपकरण मैकेनिकः

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इन्स्टुमेंटेशन या इन्स्टुमेंटेशन और कन्ट्रोल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव;

15. कम्पयूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक

ं. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद
 द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत
 विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त
 दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

16. खाद्य और पेय सेवा सहायक

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल प्रबन्धन या खानपान प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

17. कॉस्मेटोलॉजी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद
 द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से

कॉस्मेटोलॉजी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

11

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सौंदर्य संस्कृति या कोस्मोलोजी में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

18. आशुलिपि तथा सचिवीय सहायक (हिंदी)

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आशुलिपि तथा सचिवालीय पद्धित या कार्यालय प्रबन्धन या आधुनिक कार्यालय प्रबन्धन में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- ii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

19. सचिवालीय पद्धति (अंग्रेजी)

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आशुलिपि तथा सचिवालीय पद्धित या कार्यालय प्रबन्धन या आधुनिक कार्यालय प्रबन्धन में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

- ii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;

- (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
- (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

20. बांस कार्य

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिक इंजीनयरी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनभव हो:

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

21. कम्प्यूटर सहाय्यित कढ़ाई तथा डिजाइनिंगः

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र डिजाइनिंग/फैशन प्रौद्योगिकीय/कास्ट्यूम डिजाइन तथा ड्रेस मेकिंग में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो;

या

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और

(घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

13

(ख) कनिष्ठ तकनीकी सहायक

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो:

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

या

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्ष्ता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

(ग) स्टोर कीपरः

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त एक वर्ष का अनुभव हो:

या

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सुसंगत विषय में डिप्लोमा तथा शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त दो वर्ष का अनुभव;

- iii. (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
 - (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा सुसंगत व्यवसाय में प्रदान किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र;
 - (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र; और
 - (घ) शिक्षण या उद्योग के सुसंगत क्षेत्र में अर्हता उपरान्त तीन वर्ष का अनुभव।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति। आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा
आयु और शैक्षिक अईताएं		भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		
लागू होंगी?		
(8)	(9)	(10)
आयुः नहीं।	दो वर्ष, (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	(i) अंठानवे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;
शैक्षिक अर्हताएं हां।	के लिए तथा प्रोन्नति वाले व्यक्तियों के लिए)	(ii) दो प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
		पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। (11)

प्रोन्नति-

वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर-5 में राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान के अधीन कार्यरत सहायक स्टोर कीपर (भण्डारी) के रूप में कार्यरत जिन्होंने ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा किसी सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रचालन, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पणी-1- सहायक स्टोर कीपर (भण्डारी) ही केवल स्टोर कीपर (भंडारी) के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा।

टिप्पणी-2- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारीः

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर 5 में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान किए गए ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की हो या मूल काडर या विभाग में इसके समतुल्य हों;

और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन पद पर सीधी भर्ती वालों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें, केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
निम्नलिखित होंगे:-	अनिवार्य नहीं है।
1. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण (महिला प्रशिक्षण) या विभागाध्यक्ष,	
प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष;	

2.	समूह 'क' अधिकारी महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय,	
	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	–सदस्य;
3.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से भिन्न उसी स्थल	
	पर कार्यरत कोई समूह 'क' अधिकारी	– सदस्य
4.	प्रधानाचार्य या सहायक निदेशक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महिला कौशल	
	प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास	
	और उद्यमशीलता मंत्रालय	–सदस्य
समूह 'ख	' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिस	में निम्नलिखित
होंगेः-		
1.	निदेशक प्रशिक्षण (महिला प्रशिक्षण) या विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण	
	महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	–अध्यक्ष;
2.	समूह 'क' अधिकारी (महिला प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय,	
	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	–सदस्य;
3.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से भिन्न उसी स्थल	
	पर कार्यरत कोई समूह 'क' अधिकारी	–सदस्य
4.	प्रधानाचार्य या सहायक निदेशक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महिला कौशल	
	प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और	
	उद्यमशीलता मंत्रालय	–सदस्य

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017-डब्ल्यूटी-पीटी.(3)]

ईश्वर सिंह, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2023

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'C'- Technical Posts Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Vocational Instructor, Junior Technical Assistant, Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Vocational Instructor, Junior Technical Assistant, Store Keeper in the workmen's unit, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:-

- 1. **Short title and commencement**:- (i) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training (Women Training), Vocational Instructor, Junior Technical Assistant, Store Keeper, Group 'B' post, Non-Gazetted, Recruitment Rules, 2023.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix:-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** The method of recruitment for the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.
- 4. **Disqualification:-** No person shall be eligible for appointment to the said post,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, economically weaker sections, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classificati on	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Vocational Instructor, Junior Technical Assistant, Store Keeper (Dress Making, Fashion Design Technology, Front Office Assistant, Electronics Mechanic, Desktop Publishing Operator, Architectural Draughtsman, Fruit and Vegetables Processing, Catering and Hospitality, Interior Design and Decoration, Travel and Tour Assistant, Hospital House Keeping, Electrician, Floriculture and Landscaping, Instrument Mechanic, Computer Operator and Programming	(2) 183*(2023) Subject to variation dependent on workload. (A) Vocational Instructor (Trade-wise breakup): 1. Dress Making-15 2. Fashion Design Technology-12 3. Front Office Assistant-03 4. Electronics Mechanic-15 5. Desktop Publishing Operator-11 6. Architectural Draughtsman-19 7. Fruit and Vegetables Processing-03 8. Catering and Hospitality-01 9. Interior Design and Decoration-06 10. Travel and Tour Assistant-02 11. Hospital House Keeping-01 12. Electrician-01 13. Floriculture and Landscaping-01 14. Instrument Mechanic-01 15. Computer Operator and Programming	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial	(4) Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400)	_
Assistant, Food and Beverage Service Assistant, Cosmetology, Stenography and Secretarial Assistant (Hindi) [old nomenclature – Stenography (Hindi)], Secretarial Practice (English), Bamboo Works, Computer Aided Embroidery and Designing, Junior Technical Assistant and Store Keeper.	Assistant-22 16. Food and Beverage Service Assistant-04 17. Cosmetology-20 18. Stenography and Secretarial Assistant (Hindi) -04 19. Secretarial Practice (English)-17 20. Bamboo Works-01 21. Computer Aided Embroidery and Designing-03 (B) Junior Technical Assistant-10 (C) Store Keeper-11			

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		
(6)	(7)		
Not exceeding 30 Years.	1. Dress Making:		
(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Bachelor's Degree in Dress Making or Fashion Design Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or		
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates	(ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council of Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or		
and not the closing date prescribed for those residing in	(iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;		
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,	(b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;		
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of	(c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and		
Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.	(d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.		
	2. Fashion Design and Technology:		
	(i) Bachelor's degree in Dress Making or Fashion Design Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or		
	(ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education. and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or		
	(iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;		
	(b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;		
	(c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and		
	(d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.		
	3. Front Office Assistant:		
	(i) Bachelor's Degree in Hotel Management or Catering Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or		
	(ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or		
	(iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;		

- (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
- (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
- (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

4. Electronics Mechanic:

- (i) Bachelor's Degree in Electronics or Electronics and Telecommunication from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of Teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

5. Desktop Publishing Operator:

- (i) Bachelor's Degree in Printing Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of Teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

6. Architectural Draughtsman:

- (i) Bachelor's Degree in Architectural Engineering from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the

relevant field of teaching or industry; or

- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

7. Fruit and Vegetables Processing:

- (i) Bachelor's Degree in Food Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

8. Catering and Hospitality:

- (i) Bachelor's Degree in Hotel Management or Catering Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and oneyear post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a)Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

9. Interior Design and Decoration:

(i) Bachelor's Degree in Interior Design and Decoration Engineering from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and oneyear post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or

- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute.
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade: and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

10. Travels and Tour Assistant:

- (i) Bachelor's Degree in Tourism from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade: and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

11. Hospital House Keeping:

- (i) Bachelor's Degree in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

12. Electrician:

(i) Bachelor's Degree in Electrical or Electrical and Electronics Engineering from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or

- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

13. Floriculture and Landscaping:

- (i) Bachelor's Degree in Agriculture Engineering from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in agriculture or horticulture from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

14. Instrument Mechanic:

- (i) Bachelor's Degree in Instrumentation or Instrumentation and Control Engineering from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

15. Computer Operator and Programming Assistant:

 (i) Bachelor's Degree in Computer Science or Information Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and oneyear post qualification experience in the relevant field of Teaching or industry; or

- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a)Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade: and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

16. Food and Beverage Service Assistant:

- (i) Bachelor's Degree in Hotel Management or Catering Technology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and oneyear post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade: and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

17. Cosmetology:

- (i) Bachelor's Degree in Cosmetology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in Beauty culture or cosmology from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

18. Stenography and Secretarial Assistant (Hindi):

- (i) Diploma in Stenography and secretariat practice or office management or modern office management from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

19. Secretarial Practice (English):

- (i)Diploma in Stenography and secretariat practice or office management or modern office management from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute.
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade.
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade.
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

20. Bamboo Works:

- (i) Bachelor's Degree in Civil or Mechanical Engineering from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two-year post qualification experience in the relevant field of Teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

21. Computer Aided Embroidery and Designing:

(i) Bachelor's Degree in Textile Designing/ Fashion Technology/ Costume Design & Dress Making from any recognised University or Institute approved by University Grants Commission or the All India Council for

- Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade.
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

(B) Junior Technical Assistant:

- (i)Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Computer Science or Information Technology from any recognised University or Institute approved by University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii)Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade: and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

(C) Store Keeper:

- (i) Bachelor's Degree in Engineering or Technology in Computer Science or Information Technology from any recognised University or Institute approved by University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and one-year post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (ii) Diploma in relevant subject from any recognised University or Institute approved by the University Grants Commission or the All India Council for Technical Education and two years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry; or
- (iii) (a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute;
 - (b) National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate awarded by the National Council for Vocational Training in the relevant trade;
 - (c) National Craft Instructor Certificate awarded by the National Council for Vocational Training under Craft Instructor Training Scheme in relevant trade; and
 - (d) three years post qualification experience in the relevant field of teaching or industry.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion, deputation /absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No. Education Qualifications: Yes.	Two years. (For direct recruits and for promotees)	(I) Ninety-eight per cent. by direct recruitment; and (ii) Two per cent. by promotion failing which by deputation.	Promotion: Assistant Store Keeper working under National Skill Training Institute for women in pay matrix level – 5 with six years regular service in the grade and having successfully completed training of four weeks duration in the area of Computer Operations, Training of Trainers from any Government or Government recognised training institute.
			Note 1: Assistant Store Keeper shall be promoted to the post of Store Keeper only.
			Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
			Deputation:
			Officers from the Central Government or State Government or Union territories:
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department; or
			(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level – 5 of the pay matrix or equivalent in the Parent Cadre or Department; and
			(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under columns (7).
			Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date or receipt of applications.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composit	ition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering consisting of:	g promotion)	Consultation with Union Public Service Commission is not
Joint Director of Training (Women Training) or Head of Departmer Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship		necessary.
Group 'A' Officer, Women Training, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	- Member;	
3. Group 'A' Officer stationed in the same city other than the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	– Member;	
4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute for Women, Directorate General of Training, Ministry of S Development and Entrepreneurship	Skill – Member;	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considerin Confirmation) consisting of:	ıg	
1. Director of Training (Women Training) or Head of Department, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	d – Chairman ;	
2. Group 'A' Officer, Women Training, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	- Member;	
3. Group 'A' Officer stationed in the same city other than the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	– Member;	
4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute for Women, Directorate General of Training, Ministry of S Development and Entrepreneurship		

[F. No. DGT-A-12017/01/2017-WT-Pt.(3)] ISHWAR SINGH, Dy. Director General